पत्रावली उभ... को पेश हो ... सुनवाई हेतु नियत
दिनांक 16.3.21 को पेश हो।

16.3.21 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्षो ने बहस करनी चाही। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 30.3.21 को पेश हो।

30.3.21 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, समय अभाव के कारण आदेश नहीं लिखा गया। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 8.4.21 को पेश हो।

8.4.21 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 15.4 को पेश हो।

15.4.21 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थिया ने बहस के दौरान अपनी खातेदारी आराजी नं० 147/4 भूमि मे आने-जाने हेतु रास्ता अप्रार्थी सं० 1 लगायत 03 की आराजी नम्बर 149/10 एंव 147/10 की पश्चिमी मेड़ के सहारे-सहारे गैर मु० रास्ते से दर्ज आराजी नम्बर 150 से प्रार्थिया की आराजी तक 30 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की, जब कि विपक्षी अधिवक्ता ने अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.14 16:09:58 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कि प्रार्थिया की आराजी मे आवागमन हेतु आराजी नं. 147 एंव 149 जो कि राजस्व रेकार्ड मे चारागाह के रूप मे दर्ज है मे रास्ता स्थित है उक्त चारागाह मे स्थित रास्ते से होकर ही प्रार्थिया अपनी आराजी नं. 147/5 मे आवागमन करती चली आ रही है ऐसी स्थिति मे प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।	
मैने पत्रावली का अवलोकन किया, उभयपक्षो की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत मौका रिर्पोट का अवलोकन किया जिससे जाहिर आया कि प्रार्थिया की आराजी नं. 147/5 मे आवागमन हेतु कोई रेकार्डेड रास्ता विद्यमान नही है तथा तहसीलदार माण्डल ने भी अपनी मौका रिर्पोट मे भी आराजी नं. 147 एंव 149 चारागाह भूमि मे से वैकल्पिक रास्ता मौके पर विद्यमान होने व प्रार्थिया द्वारा रास्ते के रूप मे उपयोग उपभोग करने के तथ्यो का अंकन किया एंव साथ ही चारागाह भूमि मे से रास्ता दर्ज नही किये जाने की भी इस्तदुआ की। बहस के दौरान ही प्रार्थिया के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रेषित मौका रिर्पोट मे आराजी नं. 147 व 149 जो कि चारागाह दर्ज है मे से दर्शाये गये वैकल्पिक रास्ते को राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 2(63) राज.	

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.14 16:09:58 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	9/2014 दिनांक 29.9.2014 के अनुसार रास्ते के रूप मे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करने हेतु सहमति जताई तथा चारागाह आराजी नं. 147 व 159 मे से प्रार्थिया की आराजी नं. 147/5 मे आवागमन हेतु नवीन रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने की एवज मे प्रार्थिया अपनी आराजी नं. 147/5 मे से पूर्वी दिशा की तरफ चारागाह भूमि के रकबे मे से नवीन रास्ते के रूप मे दर्ज होने वाले रकबे की भूमि के बराबर का रकबा चारागाह के रूप मे दर्ज कराने हेतु तैयार एंव तत्पर है। मैने राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र का अवलोकन किया जिससे चारागाह भूमि मे से भी रास्ता दिये जाने का प्रावधान होने से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ।
	:: आदेश ::
	प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कोचरिया परवार हल्का भेजा तहसील माण्डल मे स्थित प्रार्थिया की आराजी सं. 147/5 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा भूमि मे आवागमन एंव कृषि यन्त्र लाने ले जाने हेतु चारागाह भूमि आराजी सं. 159 रकबा 3.[illegible]3 हैक्टेयर मे पश्चिमी मेड़ के सहारे-सहारे चारागाह आराजी सं. 147 रकबा 1.[illegible]58 हैक्टेयर के पूर्वी मेड़ के सहारे-सहारे प्रार्थिया की आराजी नं. 147/5 तक 16 फीट चौड़ाई का रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया

उपखण्ड [illegible]ारी

मांडल [illegible]

जाने ए[illegible]
159 मे
जाने व[illegible]
प्रार्थिया[illegible]
दिशा [illegible]
किये [illegible]
तहसील[illegible]
दरामद[illegible]
माण्डल[illegible]
सुनिश्[illegible]
होकर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.14 16:09:58 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम ज... हुक्म की त... में जारी
जाने एवं चारागाह आराजी नं. 147 व 149 में से रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने वाले रकबे के बराबर का रकबा प्रार्थिया की आराजी नं. 147/4 के पूर्वी दिशा की तरफ चारागाह के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए निर्णय की पालना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.14 16:09:58 IST
Reason: SelfAttested